आदेश

विश्वविद्यालय परिनिमय 1987 की धारा 5 (ड) के अनुसार गठित चयन समिति की अनुसंधान एवं माननीय कुलपतिजी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अध्ययनों को सहायक वर्ष–शीन (बैंकिंग) वेतन बैंड– ₹ 5200–20200 + ग्रेड पे ₹ 1900/– के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए कार्यनार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रं.</th>
<th>अम्बेडकर का नाम एवं पता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01.</td>
<td>कुमु. ज्योति सिंह, पिता श्री भजेन्द्र सिंह ठाकुर, कसारोडीह कल्याणपुरी, देव मेडिकल के पास, दुर्ग (छ.ग.) 491001</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>02.</td>
<td>एन कुमार दीवान, पिता श्री सेवाराम दीवान, समाजसेविक स्वास्थ्य केन्द्र, मगरलौड, विकासखंड मगरलौड, तह. ब जिला जमशतारी (छ.ग.)</td>
<td>कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>03.</td>
<td>कुल. मीणा कंवर, पिता श्री मुकृंद सिंह कंवर, नया सरकण्डा, बंगाली पारा गली नं. 3, मोहलूल पटवारी के पर के पास, बिलासपुर</td>
<td>ठाकुर छेड़िलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर (अनुसंधान इकाई)</td>
</tr>
<tr>
<td>04.</td>
<td>श्रीमती गीता नाम, पति श्री सांतोप कुमार नाम, आगार बाँडी के पास, ग्रीन पार्क काठों, धरभंगा-1, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग.) 494005</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>05.</td>
<td>स्वेश कुमार धृष्ट, पिता श्री कवरुळ सारम धृष्ट, विवेकनंद विद्यापीठ, सारम कृष्ण एव प्रमहसं नागर, कोटा, रायपुर 492 010</td>
<td>कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>06.</td>
<td>कुलदीप सिंह धृष्ट, पिता श्री सीताराम धृष्ट, द्वारा श्रीमती उर्मिला नेमताय आदि विवाहित काठों, गायत्री मंदिर के पास, कुशालपुर, रायपुर</td>
<td>नेहरु पुस्तकालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

क्रमांक: 2
<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अम्बारी का नाम एवं पता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>07.</td>
<td>सुशील कुमार मराडी, पिता श्री सव. टी.आर. गोड, द्वारा श्री बी.आर. पोर्ट, नूतन कालोनी, क्वा. नं. एच-2/14, सरकारडा, बिलासपुर</td>
<td>बी.आर.एस.एम. कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौढ़ोगिकी महाविद्यालय, मुंगेरी</td>
</tr>
<tr>
<td>08.</td>
<td>संजय खुमार बेकर, पिता श्री मुनेशवर, ग्राम बरजेर (बड़ी बस्ती) पो. कांसाबेल, जिला जशपुर 496 223</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, भाटापारा</td>
</tr>
<tr>
<td>09.</td>
<td>दीपेश कुमार धूव, पिता श्री मेलुराम धूव, श्री कृष्णानगर, मका नं. बी-27, पहाड़ी चौक के पास, गुढीगारी, रायपुर, जिला रायपुर</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>जशपाल बंजारे, पिता श्री दानीलाल बंजारे, ग्राम कोटिया, पो. खील, धाड़ खोरो, तह. आराम, जिला रायपुर (छ.ग.) 493225</td>
<td>संचालनालय अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>उपेन्द्र कुमार रामटेके, पिता श्री सुनील प्रसाद रामटेके, ग्राम व पो. पंजेरा तह. राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव 491441</td>
<td>संचालनालय अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>परित्र कुमार बंजारे, पिता श्री मंगल सेन बंजारे, ग्राम जोरा पो. आफिस कृष्ण कांग, रायपुर 492 006</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>अपनी कुमार कोसरिया, पिता श्री एआर. कोसरिया, अजय प्रोफेजन स्टॉर्स, गंगा नगर, सपाग्राम तेलागांव, रायपुर (छ.ग.)</td>
<td>कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>कु. सुधिता खुदेंटे, पिता श्री सुमंतराम खुदेंटे, द्वारा रोज जांगडे, ग्राम अमलीडेहू, पो. दुलारपुर, तह. बिलाईगढ़, जिला रायपुर (छ.ग.) 493338</td>
<td>संचालनालय अनुसंधान सेवायें, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>सरिता बंजारे, पिता श्री अंकबर दास बंजारे, विवेकानंद कलोनी, जशपुर जिला जशपुर 496 331</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, रायपुर</td>
</tr>
</tbody>
</table>
नियुक्ति की शर्तें:

01. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्त्य पर मय प्रमाण-पत्रों (रेखानक योग्यता, जाति, जाति सत्यापन, मूल निवासी, युद्धलेखन एवं कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा। अन्यथा आदेश स्वीकृत नहीं होगा।

02. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण-पत्र भविष्य में यदि अस्फल पाये जाते हैं तो नियुक्ति आदेश बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा।

03. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किसी भी केन्द्र/इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

04. उम्मीदें द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने के रिक्षित में एक माह का वेतन-भत्ता भुगतान/जमा करना होगा।

05. अभ्यर्थी को कर्त्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिद्धिल जजन में शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

06. पदवा नाम या अधिकारी द्वारा संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चरित्र सत्यापन कराया जा सकता है। वरिष्ठ सत्यापन की सत्यापित छायाप्रति 6 माह के भीतर विश्वविद्यालय को अवलंब कराई जा सकती है।

07. नियुक्ति अन्यथा द्वारा संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चरित्र सत्यापन कराया जा सकता है। वरिष्ठ सत्यापन की सत्यापित छायाप्रति समय का हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

08. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति प्रियापित रहने की शपथ लेनी होगी।

09. अभ्यर्थी को कर्त्य पर उपस्थिति होने की तिथि से एक माह के भीतर निरंतर चिकित्सा भत्ता/प्रतिपूर्ति चिकित्सा भत्ता हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

010. अभ्यर्थी को कर्त्य पर उपस्थिति होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निरंतर चिकित्सा भत्ता/प्रतिपूर्ति चिकित्सा भत्ता हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

प्रभावित किया जाता है कि उक्त आदेश पारित करने के बाद छात्राओं लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आवश्यक) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन किया गया है।

कुलपत्तिजी के आदेशानुसार

रायपुर, दिनांक: 4/05/2013
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावस्था हेतु प्रेषित
नियंत्रणकारी कृपया नियुक्त अभ्यर्थियों का उपस्थिति प्रतिवेदन, शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:

1. संचालक अनुसंधान/विभाग सेवायें/शिक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।

पृष्ठां: क्रमांक/स्था-1/CF-07/2013/791
रायपुर, दिनांक: 4/05/2013
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावस्था हेतु प्रेषित
नियंत्रणकारी कृपया नियुक्त अभ्यर्थियों का उपस्थिति प्रतिवेदन, शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:

1. संचालक अनुसंधान/विभाग सेवायें/शिक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
2. अभियाता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर।
3. अभियाता, कृषि अभियात्रीकीय संस्थान/छात्र कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. अभियाता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, विलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कवरा।
5. अभियाता, बी.एल.एस.एम. कृषि अभियात्रीकीय एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मुंगेली (रायपुर केन्द्र)।
6. अभियाता, कृषि महाविद्यालय, जांगनीर-चांपा/भाटपुरा।
7. अभियाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, राजनांदगांव।
8. लेखानियंत्रक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
9. पुस्तकालयकार/अधीक्षक भौतिक संस्थान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
10. चुंचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, डॉ. म.ए. कृ. वि. रायपुर।
11. प्रमुख वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी कृषि अनुसंधान केंद्र, बोईर दादर फार्म, रायगढ।
12. प्रमाण, डी. के. फार्म, भाटपुरा (रायपुर)/बरैंडा फार्म, रायपुर।
13. माननीय कुलपतिजी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
14. संबंधित: .......................................................... ..........................................................
15. व्यवितरण/मास्टर नस्ती।

[संदर्भ लिखित]